न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—194/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/194)

1. श्री देवीलाल पुत्र घेवरचंद
2. रामदेव पुत्र घेवरचंद
3. मोनिका पुत्री घेवरचंद
   समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम—रामगढ, तहसील—बिजयनगर, जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री भगवंतसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम आकरोल, ग्राम पंचायत शिवनगर, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।
2. श्री उदयसिंह पुत्र लाडूसिंह जाति रावत, निवासी ग्राम प्रतापपुरा द्वितीय रामगढ तहसील बिजयनगर ,जिला ब्यावर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, बिजयनगर, जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा दिनांक 14.08.2024 राजस्व वाद संख्या 81/2024(2024/285) बउनवानी भगवतसिंह बनाम उदयसिंह में पारित किया गया।

उपस्थितः—

1. श्री, शौकिन्दलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री, धर्मराज शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री, अमीन काठात, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
4. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03

निर्णय

दिनांकः—07.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.08.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2818 रकबा 0.6310 है. भूमि वाकै ग्राम मौजा रामगढ, पटवार क्षेत्र रामगढ, भू–अभिलेख नि० क्षेत्र रामगढ, तहसील बिजयनगर में स्थित है उक्त वादग्रस्त आराजी वादी 2/13 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी/सहकारतकारी की आराजीयात है, उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है, उक्त आराजी पर सभी पक्षकार अपना खर्चा कर विकसित किया गया, किन्तु आये दिन सीमा एवं झगडा उत्पन्न होने से एवं वादी को अपनी काबिज शुद्वा आराजी से बेदखल करने में आमादा है, जो वादी एवं प्रतिवादी काबिज अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है, वादग्रस्त आराजी के कब्जे बाबत आये दिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करनें में आमादा है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य काबिज अनुसार बंटवारा किया जावे, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने दिनांक 27.05.2024 को प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.06.2024 की नियत की गई, तत्पश्चयात प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री पवनकुमार जीनगर ने यू0टी0 दी गई, जो आदेशिका पर मूर्तिब है, ओर प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से आगामी पेशी दिनांक 03.07.2024 को वकालनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14.08.2024 को वास्ते जवाब बाबत उक्त आदेशिका मूर्तिब की गई, जबकी प्रतिवादीगण/अपीलांट की बिना जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये दिनांक 14.08.2024 को ही प्रकरण में बिना विधिक कार्यवाही किये उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा अपीलांट के न्यायहितों को दरकिनार करते हुए दिनांक 14.08.2024 को निर्णय एवं डिकी पारित कर दिया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.08.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी पारित करने से पूर्व अपीलांट को बिना पूर्ण जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं राजस्व अभिलेख एवं विधि द्वारा बनाये गये प्रावधान एवं उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो राजस्व अभिलेख एवं प्रावधानों के अनुसार न पारित कर, अपीलांट हितों के प्रति वादी को लाभान्वित करने से निर्णय एवं डिकी पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने निर्णय एवं डिकी पारित करने से प्रकरण में अपीलांट की बिना प्रोपर तामिल की कार्यवाही अपनाये ही दिनांक 14.08.2024 को ही एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर अपीलांट की तामिलों नोटिस एवं इस बाबत आदेशिका का अवलोकन किये बिना ही अपीलांट के न्यायहितों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया गया, जबकि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने दिनांक 27.05.2024 को प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.06.2024 की नियत की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गई, तत्पश्चयात प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर एडवोकेट श्री पवनकुमार जीनगर ने यू0टी0 दी गई, जो आदेशिका मूर्तिब पर मूर्तिब है, ओर प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से आगामी पेशी दिनांक 03.07.2024 को वकालनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14.08.2024 को वास्ते जवाब बाबत उक्त आदेशिका मूर्तिब की गई, जबकी प्रतिवादीगण/अपीलांट की बिना जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये दिनांक 14.08.2024 को ही उक्त वाद पत्र में विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा दिनांक 14.08.2024 को निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 अभिकथनों के अनुसार निर्णय पारित कर दिया, क्योंकि प्रतिवादी/अपीलांट की निर्माण शुद्वा काबिज शुद्वा विकसित की आराजी का वादी के पक्ष में डिक्री पारित की गई, जो कानून की मंशा एवं राजस्व अभिलेख के विपरित निर्णय पारित किया, वादी के वाद पत्र के खण्डन/जवाब का बिना अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी पक्षकार का जवाब के बाद तनकीयात कायम किए बिना साक्ष्य प्रकिया अपनाये प्राथमिक स्थिति में जो वाद पत्र का निर्णय एवं डिकी से स्वयं सिद्ध है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्ट) के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थानं काश्तकारी अधि0 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2818 रकबा 0.6310 है. भूमि वाकै ग्राम मौजा रामगढ, पटवार क्षेत्र–रामगढ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र – रामगढ, तहसील विजयनगर में स्थित है, उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी 2/13 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 66/156 हिस्सा, शेष हिस्सा अपीलांट का अंकित किया गया, जबकि राजस्व अभिलेख के विपरित प्रकरण में हिस्सा निर्धारण कर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि " जमाबन्दी सम्वत् 2069 लगायत 2072 में प्रतिवादी संख्या 1 का 7/52 हिस्सा, वादी का 2/13 हिस्सा, प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 व 2 का 4/13–4/13 हिस्सा, प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 3 का 5/52 हिस्सा दर्ज है, उक्त आराजी नोट नं0 1 से दिनांक 17/02/2020 बाबत न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर द्वारा यथास्थिति नोट अंकन है, जो राजस्व अभिलेख के विपरित वाद के अनुसार वाद पत्र डिक्री किया गया, जिसमें अपीलांट को ना तो कोई जवाब का अवसर समाप्त हुआ, ना ही जवाब का मौका दिया गया, ना ही साक्ष्य अभिलेख पर लिए बिना प्रकरण का निर्णय किया गया। वादी ने प्रतिवादी/अपीलांट के काबिज आराजी एवं अपीलांट का हिस्से की आराजी अर्थात हिस्सा के विरूद्व डिक्री पारित की गई, उक्त प्रकरण बिना विधिक कार्यवाही किये बहस कर निर्णय करवा लिया गया, जो कानून की मंशा एवं राजस्व अभिलेख के विपरित निर्णय पारित किया, जो उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व बिना पत्रावली की आदेशिका दिनांक 03.07.2024 स्थिति का अवलोकन किए ही प्रकरण का निर्णय किया गया जबकि आदेशिका दिनांक 03.07.2024 इस प्रकार से मूर्तिब की गई कि" वादी के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री पवनकुमार जीनगर ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा व प्रतिवादी 1 स्वयं उपस्थित होकर बंटवारा किया जावे तो कोई आपत्ति नही आदेशिका पर अंकित किया। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 14.08.2024 को पेश हो ।" जो

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रकरण का दिनांक 14.08.2024 को निर्णय में अपीलांट के अभिभाषक की सहमति अंकित कर वाद को निर्णित किया गया, जबकी प्रतिवादी/अपीलांट एवं अभिभाषक के द्वारा कोई प्रकरण में सहमति प्रदान नहीं की गई ना ही अपीलांट ने अपने अभिभाषक को उक्त सहमति की हिदायत दी गई। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपूर्ण पत्रावली पर आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है, जो आदेश पारित करते समय अपने नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश से अस्वीकार फरमाया है एवं उनके द्वारा उक्त आदेश पारित करने के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी उक्त आदेश में अंकित नहीं किये गये है, आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को स्वीकार करने का कोई सकारात्मक व विधिसम्मत कारण आदेश में अंकित नहीं किया है एवं बहुत ही संक्षिप्त आदेश के द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का आदेश पारित किया है, किसी भी प्रकरण को इस प्रकार स्वीकार व अस्वीकार करने का युक्तिसंगत कारण अंकित किये बिना आदेश पारित करना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रक्रिया नहीं है, विचारण न्यायालय को चाहिए था कि वे प्रकरण को निस्तारित करते समय इस पर विश्लेषाणात्मक विवेचन करते हुये व स्पष्ट रूप से कारण अंकित करते हुये वाद का निस्तारण करते, इस सम्बन्ध में माननीय मण्डल द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त 2016 आर. आर. टी.(2) पेज 1147 महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार से हैं:– माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त न्यायिक दृष्टान्त के पैरा संख्या 4 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश आधार सहित व तर्क सहित होना चाहिये, अस्पष्ट तथा संदिग्ध निर्णय अथवा नॉन स्पींकिग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये तथा निर्णय/आदेश स्पीकिंग होने चाहिये, साथ ही विधि द्वारा सुस्थापित स्थिति है न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयों को जाप्ता दिवानी के आदेश 20 नियम 4 व 5 के तहत कारण अंकित करते हुये आदेश एवं निर्णय पारित करना आज्ञापक है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.08.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा रामगढ पटवार हल्का रामगढ तहसील बिजयनगर में खसरा नंबर 2818 रकबा 0.6310 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त विवादित भूमि में निहित 2/13 हिस्सा घेवरचन्द एंव उनकी बहिन श्रीमति नौरीदेवी ने वादी को बेचान कर दिया। वादी ने उक्त भूमियों को खरीद किये जाने के बाद अपने हिस्से में चार दीवारी का निर्माण भी करवाया गया। इसी विवादित भूमि में से 66/156 हिस्सा दक्षिण की तरफ का प्रतिवादी संख्या 1 ने खरीद किया गया तथा घेवरचन्द व उसकी बहन के मरणोपरान्त उनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का शेष हिस्सा रहा। उक्त बेचान के अनुरूप राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। वादी द्वारा तहसीलदार से निवेदन किया उक्त बेचाननामे पर विभाजन किया जावें किन्तु वादी के निवेदन का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

ध्यान नही दिया। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 21.4.2024 को वादी के हक हिस्से से उसे बेदखल करना चाहते है तथा प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि बिना विभाजन कराये अन्यत्र बेचान करके रहेंगे। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादग्रस्त भूमियो का विभाजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रामगढ पटवार हल्का रामगण तहसील बिजयनगर में खसरा नम्बर 2818 रकबा 0.6310 है0 भूमि में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वर्णित खातेदारों के हिस्सों के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच उनके कब्जे एवं हिस्सों के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किए जाने के आदेश पारित किए गए है। उक्तानुसार पृथक–पृथक खाता कायम किए जाने तथा पृथक लगान तय किए जाने के आदेश तहसीलदार बिजयनगर पर पारित किए जाते है तथा उक्तानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने दिनांक 27.05.2024 को प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.06.2024 की नियत की गई, तत्पश्चयात प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री पवनकुमार जीनगर ने यू0टी0 दी गई, जो आदेशिका पर है। प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से आगामी पेशी दिनांक 03.07.2024 को वकालनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14.08.2024 को वास्ते जवाब बाबत उक्त आदेशिका मूर्तिब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट की बिना जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये दिनांक 14.08.2024 को ही प्रकरण में कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा दिनांक 14.08.2024 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी पारित करने से पूर्व अपीलांट को बिना जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। जो कानून की मंशा एवं वाद पत्र के जवाब का बिना अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी पक्षकार का जवाब के बाद तनकीयात कायम किए पारित किया गया है जो निर्णय एवं डिकी से सिद्ध है। प्रकरण का दिनांक 14.08.2024 को निर्णय में अपीलांट के अभिभाषक की सहमति अंकित कर वाद को निर्णित किया गया, जबकी प्रतिवादी/अपीलांट एवं अभिभाषक के द्वारा कोई प्रकरण में सहमति प्रदान नहीं की गई ना ही अपीलांट ने अपने अभिभाषक को उक्त सहमति की हिदायत दी गई। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपूर्ण पत्रावली पर आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है। मान्नीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने न्यायिक दृष्टांत 2016(2)आर.आर.टी. पेज 1147 में यह प्रतिपादित किया है कि न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश आधार सहित तर्क सहित होना चाहिए, अस्पष्ट तथा संदिग्ध निर्णय अथवा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्णय/आदेश स्पीकिंग होने चाहिए, साथ ही विधि द्वारा सुस्थपित सिद्धान्त है कि न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयों को जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 04 व 05 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश एवं निर्णय पारित करना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 04 व 05 की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया है,जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.08.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.08.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभय पक्षकारान को जवाब का अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए हिस्से अनुसार पुनःप्राथमिक डिक्री जारी की जावें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.12.2024 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

07/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner